उत्तर प्रदेश शासन
विकलांग कल्याण अनुभाग–1
संख्याः–1040 /65–1–2012–14/11
लखनऊः दिनांक : 19 अक्टूबर, 2012

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ

मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा निर्देश की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा निर्देशों की प्रति समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव

संख्याः–1040(1)/65–1–2012तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को दिशा निर्देश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव प्रमुख सचिव,विकलांग कल्याण विभाग।
2– निजी सचिव, विशेष सचिव,विकलांग कल्याण विभाग।

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु दिशा निर्देश

1–प्रस्तावना

मानसिक मंदित तथा बहुविकलांगता से ग्रसित ऐसे विकलांग जन जो निराश्रित एवं लावारिस हालत में घुमन्तू प्रकृति के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते/भटकते रहते हैं, की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे विकलांग जन मानसिक मंदिता के कारण प्रायः सड़कों के किनारे, निर्जन स्थान अथवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं जो निराश्रित तथा तिरस्कृत होने के कारण कभी–कभी उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं। समाज के ऐसे उपेक्षित वर्ग के पुनर्वासन हेतु विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद बरेली, मेरठ तथा गोरखपुर में मानसिक मन्दित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। जनपद बरेली में स्थापित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र महिला शाखा तथा जनपद मेरठ एवं गोरखपुर में स्थापित केन्द्र पुरूष शाखा के रूप में संचालित होंगे।

उक्त आश्रय गृहों का संचालन निम्नानुसार किया जायेगाः–

2–उद्देश्य

1– बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के आश्रय हीन मानसिक मंदित विकलांग जन जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिये आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना।

2– ऐसे मानसिक मंदित आश्रय हीन विकलांग जन को भावनात्मक समर्थन एवं परामर्श देना।

3– जागरूकता, कौशल उन्नयन तथा कौशल विकास प्रशिक्षण, एक्टिविटी आफ डेली लिविंग (नैत्यिक कार्यो का सम्पादन) आदि के विकास से व्यक्तित्व विकास कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पुनर्वासित करना।

4– ऐसे आश्रयहीन विकलांगजन को उनके अभिभावकों से सम्पर्क कराने का भी प्रयास किया जाना।

3–लक्ष्य वर्ग/लाभार्थी

मानसिक मंदित एवं बहुविकलांगता से ग्रस्त आश्रयहीन (पुरूष एवं महिला) विकलांग जन के लिये आश्रय गृह के निम्नलिखित लक्ष्य वर्ग/लाभार्थी होगें–

(1) आश्रयहीन मानसिक मंदित विकलांग जन का तात्पर्य उस मानसिक मंदित विकलांग जन से हैं जो किसी प्रकार का परिश्रम नहीं कर सकते हैं और न ही उनका आर्थिक स्रोत हो और न ही किसी व्यक्ति के आश्रय पर रहता हो।

(2) अपने परिवारों व रिश्तेदारों द्वारा परित्यक्त सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों पर छोड़े गये आश्रयहीन मानसिक मंदित विकलांग जन।

Scanned with OKEN Scanner

(3) प्राकृतिक आपदाओं/विपदा के कारण बे–घर हो गये बहु–विकलांग /मानसिक मंदित विकलांग जन को जिन्हें कोई सामाजिक व आर्थिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

4–प्रवेश हेतु पात्रता–

(1) प्रश्नगत आश्रय गृहों में आई–क्यू0 असेसमेन्ट के अनुसार केवल स्लो लर्नर, माइल्ड एम.आर. तथा माडरेट एम.आर. श्रेणी के मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश दिया जायेगा।

(2) इन केन्द्रों में प्रवेश हेतु विकलांग जन की न्यूनतम् फिजिकल आयु 18 वर्ष होगी।

(3) केन्द्रों पर मानसिक रोगियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे रोगी के पाये जाने पर उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा।

(4) आश्रयहीन मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश लेने के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा उसका सामान्य चिकित्सीय परीक्षण राजकीय चिकित्सालय में कराया जायेगा। लाभार्थी का आई0क्यू0/बौद्धिक क्षमता का भी परीक्षण कराया जायेगा।

(5) इन केन्द्रों पर प्रवेश हेतु संबंधित जनपद के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की संस्तुति/अनुमोदन आवश्यक होगा।

(6) मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भी बिन्दु सं0–1 के अन्तर्गत परिभाषित मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश दिया जायेगा।

(7) प्रवेश सम्बन्धी विवाद होने पर केन्द्रों से सम्बंधित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

5–अवस्थापना सुविधायें

आश्रय गृह में मानसिक मंदित/बहुविकलांगता से ग्रस्त विकलांगजन को आश्रय गृह में मानसिक मंदित/बहुविकलांगता से ग्रस्त विकलांग जन को प्रवेश के उपरान्त निम्न सुविधायें प्रदान की जायेंगीं–

1– केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक संवासी की दैनिक कियाओं(Activities of Daily Living) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जायेंगी।

2– संवासियों को स्वास्थ्य परक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

3– संवासियों को स्वच्छ वातावरण में रखा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6–प्रशिक्षण

(1) केन्द्र पर प्रत्येक संवासी को उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार आकूपेशनल थेरेपी के अन्तर्गत एक्टिविटी आफ डेली लिविंग का विकास करने के लिये उन्हें विभिन्न कियाओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) प्रत्येक संवासी को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रति दिन कम से कम 03 घन्टे विभिन्न ट्रेडों यथा– मोमबत्ती, डिब्बा, लिफाफा, अगरबत्ती बनाना, टॅवाइज मेकिंग, सिलाई, आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7–संस्था के अभिलेखों का रख–रखाव

केन्द्र के प्रभारी अधिकारी विभाग द्वारा तैनात अधीक्षक/अधीक्षिका होगें जिनका उत्तरदायित्व केन्द्र को सुचारू रूप से संचालित करने का होगा। अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा निम्न अभिलेख केन्द्र पर तैयार कराये जायेगें–

1– प्रत्येक संवासी की केस रिर्काड पत्रावली तैयार की जायेगी। इस पत्रावली में संवासी को प्रतिदिन कराये जाने वाले दैनिक कार्यों/कियाओं का समय का अंकन कर उल्लेख किया जायेगा।

2– समय–समय पर संवासी के कराये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित पत्रावली।

3– आश्रय गृह पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं से संबंधित इन्वेन्ट्री की पत्रावली।

4– केन्द्र की सभी सामग्री के लिये डेड–स्टॉक पंजिका बनायी जायेगी।

5– केन्द्र पर कार्यरत कार्मिकों का पूर्ण व्यक्तिगत विवरण के साथ स्थापना रजिस्टर।

6– संवासी से मिलने वाले व्यक्तियों/अभिभावकों से संबंधित विजिटर्स रजिस्टर।

8–आश्रय गृह का निरीक्षण

1– केन्द्र के अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा प्रत्येक दिवस हास्टल एवं प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया जायेगा।

2– जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा माह में दो बार अनिवार्य रूप से केन्द्र का भ्रमण किया जायेगा।

3– निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था के समस्त कार्यकलापों का मूल्यांकन उपलब्ध अभिलेखों आदि का संज्ञान लेते हुए किया जायेगा।

4– निरीक्षण के समय केन्द्र प्रभारी को समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराने होगें।

5– निरीक्षण में पाये जाने वाली कमियों का निराकरण केन्द्र प्रभारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6– निरीक्षणकर्ता संवासियों से उनके रहने, भोजन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकेंगें।

7– किसी संवासी से दुर्व्यवहार की शिकायत पाये जाने की स्थिति में निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा किसी सक्षम स्तर से जॉच कराकर केन्द्र प्रभारी को यथावश्यक निर्देश प्रदान कर सकेगें जिनका अनुपालन केन्द्र प्रभारी को सुनिश्चित करना होगा।

9–जिला परामर्शदात्री समिति

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के सन्दर्भ में भी प्रत्येक त्रैमास मे अथवा यथा आवश्यकता बैठक करके केन्द्रों के संचालन की समीक्षा करेगी तथा सुधार की दिशा में आवश्यक परामर्श देगी। प्राप्त परामर्शों पर समुचित कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा विकलांग कल्याण अधिकारी एवं केन्द्र प्रभारी के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। समय–समय पर परामर्श–दात्री समिति के निर्णयानुसार अथवा अध्यक्ष के निर्देश पर समिति के सदस्यगण केन्द्र का भ्रमण/निरीक्षण भी कर सकेगें।

10–केन्द्र के कार्यकलापों की रिपोर्ट

केन्द्र के कार्यकलापों, संवासियों के रहन–सहन आदि के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर मासिक प्रगति आख्या तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। मासिक प्रगति आख्या में केन्द्र पर निवासरत प्रत्येक विकलांगजन की संख्या, उनकी प्रवेश की तिथि, आयु, विकलांगता का प्रकार, शैक्षिणिक/वोकेशनल ट्रेड में दिये जा रहे प्रशिक्षण, दैनिक कार्य व्यवहार में हो रहें सुधार पर एवं अन्य कोई विशेष विवरण हो, का उल्लेख कर केन्द्र प्रभारी भेजेगें। संवासी में हो रहें अग्रेतर विकास/बदलावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक संवासी की एक व्यक्तिगत प्रोफाइल भी तैयार की जायेगी जिसका परीक्षण जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11– अन्य

केन्द्र पर निवासरत मानसिक मंदित विकलांग जन के परिवार के सदस्य(माता–पिता, भाई–बहन, लीगल गार्जियन) का पता चलने पर उसे आश्रय गृह से ले जाने के लिये यदि आवेदन करेगें तो उन्हें पारिवारिक सदस्य होने का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिला विकलांग कल्याण

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी एवं केन्द्र प्रभारी के सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही लाभार्थी को उनके सुपुर्द किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-55/1074/65-1-2013-14/2011

प्रेषक,

डा0 सुनील कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक- 13 नवम्बर,, 2013

विषय- मानसिक मन्दित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली मेरठ एवं गोरखपुर केन्द्र में प्रवेश हेतु आयु की पात्रता में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2367/ वि0क0/ आश्रय-गृह/ 2013-14 दिनांक 30 सितम्बर,2013 का कृपया संदर्भ गृहण करें। जिसके द्वारा मानसिक मन्दित आश्रय गृह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु निर्गत दिशा- निर्देश के बिन्दु संख्या-4 में प्रवेश् हेतु पात्रता के क्रमांक-2 पर अंकित पात्रता की शर्तो में 0 से 18 वर्ष तक की आयु के भी बच्चों के प्रवेश लिये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक मन्दित आश्रय गृह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु पूर्व निर्गत दिशा- निर्देश के बिन्दु संख्या-4 में प्रवेश् हेतु पात्रता के क्रमांक-2 पर अंकित पात्रता की शर्तो में 0 से 18 वर्ष तक की आयु के भी बच्चों के प्रवेश लिये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(डा0 सुनील कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-43/2016/374/65-2-2016-25(बजट)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल,2016

विषय विकलांगजन विकास विभाग के अधीन संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के भरण-पोषण की दर में वृधि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5847/वि0ज0वि0/मा0मं0गृ0/दर-बढोत्तरी/2015-16 दिनांक 17-02-2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1642/65-2-98-374/96, दिनांक 29-01-1998 तथा शासनादेश संख्या-1288/65-2-2008-374/96, दिनांक 23-06-2008 शासनादेश संख्या-930/65-2-2010-374/90 दिनांक 29-06-2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विकलांगजन विकास विभाग के अधीन विकलांगों के लिये संचालित किये जा रहे संस्थाओं में निवासरत संवासियों के भरण-पोषण की वर्तमान दर को पुनरीक्षित करते हुये वर्तमान दर रू0 1200/-प्रतिमाह के स्थान पर रू0 2000/-प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त् सुविधा का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।

3- कृपया शासनादेश दिनांक 29 जून, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-684/दस-2016, दिनांक 22-04-2016 मं प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या-43/2016/374(1)/65-2-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- मण्डलीय उप निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अधीक्षक/अधीक्षिकायें, विभागीय आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश।
7- समस्त प्रधानाचार्य, विभागीय राजकीय विघालय, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
9- विकलांग जन विकास अनुभाग-1
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

निदेशक कैम्प
कम्प्यूटर सं0 1868
दि0 11/5/15

संख्या–469 / 65–1–2015–14 / 2011

प्रेषक,

बाबू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2015

विषय : मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन से सम्बन्धित दिशा–निर्देश की धारा–4(1) में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–476 / वि0ज0वि0 / स्वै0सं0दृष्टि0 / 2014–15 दिनांक 01–5–2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानसिक मंदित आश्रय गृह / सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की धारा–4 ''प्रवेश हेतु पात्रता'' की उप धारा–(1) में संशोधन का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दिशा–निर्देश की धारा–4 ''प्रवेश हेतु पात्रता'' की उप धारा–(1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2
4–प्रवेश हेतु पात्रता– (1) प्रश्नगत आश्रय गृहों में आई–क्यू असेसमेन्ट के अनुसार केवल स्लों लर्नर, माइल्ड एम0आर0 तथा माडरेट एम0आर0 श्रेणी के मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश दिया जायेगा।	**4–प्रवेश हेतु पात्रता–** (1) प्रश्नगत आश्रय गृहों में आई0क्यू0 असेसमेन्ट के अनुसार केवल स्लों लर्नर, माइल्ड एम0आर0 तथा माडरेट एम0आर0 श्रेणी के मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में गम्भीर मानसिक विकलांगता से ग्रस्त विकलांग जन को केन्द्र की क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जा सकता है।

उक्त दिशा–निर्देश की शेष व्यवस्थायें पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की यथावत रहेंगी। कृपया संशोधित दिशा–निर्देश के अन्तर्गत कार्यवाही करने व इसकी प्रति समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(बाबू लाल)
संयुक्त सचिव।

J.D.(A.K.V.)

निदेशक
11.05.15

11/5/15